संख्या-33/2018/1361/62-2-2018-2/3(28)/2018

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनाॅक 19 सितम्बर, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत "वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन" नाम से प्रस्तावित नई योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लगातार कम हो रही वर्षा तथा सिंचाई एवं औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भूजल के अत्याधिक दोहन से इस प्राकृतिक संसाधन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा का अधिकांश जल बहकर नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। उत्तर प्रदेश में तालाब प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल संवर्द्धन के सशक्त माध्यम रहे हैं और अभी भी परम्परागत रूप से निर्मित ये तालाब प्रदेश के सभी जनपदों में उपलब्ध है। इन बड़े तालाबों का समय के साथ सिल्टेशन होने के कारण इनकी जल संग्रहण एवं भूजल संवर्द्धन क्षमता समय के साथ-साथ शनैः-शनैः क्षीण होती रही है और समय-समय पर इनका पुनर्विकास न किये जाने के कारण इनका काफी क्षरण हुआ है।

उक्त स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा 01 हे0 से कम क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास मनरेगा के अन्तर्गत तथा 01 हे0 से ऊपर के तालाबों का पुनर्विकास अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि से कराने का निर्णय लिया गया है।

इस कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत **"वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन"** नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके अन्तर्गत 01 हे0 से 05 हे0 के परम्परागत रूप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास किया जाना प्रस्तावित है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजना हेतु रू0-1000.00 लाख सामान्य मद में तथा रू0-1380.00 लाख एस0सी0पी0 मद में कुल रू0-2380.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

3. उक्त योजना के अन्तर्गत तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित घटक होगें:-

(अ) तालाब का पुनर्विकास।

(ब) तालाब के बन्धों पर वृक्षरोपण।

(स) तालाब के रख-रखाव एवं जल प्रबन्धन हेतु पानी पंचायत का गठन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत चयनित 25 एवं 40, कुल 65 विकास खण्डों में 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर तक के आकार वाले परम्परागत रूप से निर्मित वर्तमान सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास किया जायेगा, ऐसे तालाबों का चयन किया जाय जिनमें 2-3 मीटर की खुदाई की आवश्यकता है। जिन तालाबों का चयन किया जाना है, उनके कैचमेन्ट एरिया का भी भलीभाँति तकनीकी परीक्षण कर लिया जाय, ताकि चयनित तालाब में जल स्तर पूरे वर्ष बना रहे तथा कैचमेन्ट एरिया के क्षेत्र से जल एकत्रित होकर तालाब में इकटठा हो सके। चयनित तालाब में पशुओं के पानी पीने हेतु पानी तक पहुॅचने के लिए एक पक्के रैम्प का निर्माण भी कराया जाय, ताकि तालाब पशुओं के उपयोगार्थ भी लाया जा सके। तालाब के पुनर्विकास के लिये प्राक्कलन, डिजाइन, ड्राइंग इत्यादि तैयार करने हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जायेगें जिसके साथ मॉडल प्राक्कलन भी संलग्न किया जायेगा।

5. अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिन्हित विकास खण्डों में तालाबों का चयन ऐसे ग्रामों में किया जायेगा जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइबल सब प्लान के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. प्रत्येक तालाब पर पानी पंचायत का गठन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा पानी पंचायत ग्राम पंचायत एवं लघु सिंचाई विभाग के मध्य त्रिपक्षीय समझौता होने के उपरान्त ही तालाब के पुनर्विकास का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा। त्रिपक्षीय समझौता (सौ रूपये के स्टॉम्प पेपर पर) किया जायेगा इसका प्रारूप मुख्य अभियन्ता द्वारा पृथक से निर्गत किया जायेगा। तालाब के विकसित होने के उपरान्त इसे संबंधित ग्राम पंचायत को हैण्डओवर कर दिया जायेगा। तालाब के बन्धों पर प्लान्टेशन का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पानी पंचायत के सहयोग से किया जायेगा। भविष्य में इसका रख-रखाव एवं आवश्यकतानुसार डिसिल्टेशन का कार्य मनरेगा फण्ड से ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिसमें पानी पंचायत पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

7. जल प्रबन्धन, जल सुरक्षा तथा तालाब के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु पानी पंचायत के गठन की कार्यवाही यू0पी0 डास्प द्वारा की जायेगी, जिसमें समूहों का गठन एवं सशक्तिकरण तथा महिला पंचायत का गठन, जल सुरक्षा प्लान और उसका क्रियान्वयन, जल साक्षरता अभियान, जल एवं जीविका का पारम्परिक संबंध, जन प्रचार एवं सर्मथन (एडवोकेसी) इत्यादि से संबंधित कार्यवाही की जायेगी। एक पंचायत के गठन एवं इससे संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम रू0-50,000.00 की व्यवस्था प्रति तालाब प्राक्कलन में की जायेगी। लघु सिंचाई विभाग द्वारा इस कार्य की धनराशि यू0पी0 डास्प को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका उपभोग होने के पशचात उपभोग प्रमाण पत्र यू0पी0 डास्प द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. पानी पंचायत के गठन एवं दायित्व संबंधी निर्देश शासनोदश संख्या-5145/02-22-2017-2/2(10)/2017 दिनांक 31.05.2017 में दिये गये हैं।

9. वर्ष 2018-19 में चिन्हित विकास खण्डों से संबंधित जनपद के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता संलग्न प्रारूप पर कार्ययोजना तैयार करायेगें और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति के अनुमोदनोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेगें। उक्त योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे तालाबों के फोटो, जी0पी0एस0 कोआर्डीनेट्स, जी0आई0एस0 मैपिंग से सम्बन्धित सूचना भी प्रस्ताव के साथ भेजी जायेगी। मुख्य अभियन्ता प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके उन प्रस्तावों को शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगें, जिनमें तालाब निर्विवादित रूप से उपलब्ध हो, उस पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण ना हो तथा पानी पंचायत का गठन किया जा चुका हो। शासन स्तर से प्राप्त कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः-

(I)	विशेष सचिव/सचिव	-	अध्यक्ष।
(II)	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई	-	सदस्य।
(III)	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त	-	सदस्य।
(IV)	वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई मुख्यालय	-	सदस्य।

उक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगी और योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये कार्ययोजना अनुमोदित करने हेतु संस्तुति करेगी, जिसके क्रम में शासन द्वारा कार्ययोजना अनुमोदित कर मुख्य अभियन्ता को प्रेषित की जायेगी, जिसे मुख्य अभियन्ता सभी संबंधित को परिचालित करेगें। परिचालित होने के उपरान्त तालाब के क्षेत्रफल का डिमार्केशन उपजिलाधिकारी के समक्ष सम्बन्धित लेखपाल द्वारा योजना स्वीकृत होने के उपरान्त 15 दिन में सुनिश्चित कराया जायेगा। तालाबों के पुनर्विकास का कार्य संबंधित सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।

10. तालाबों के जीर्णोद्वार/पुनर्विकास/नवनिर्माण के संबंध में विभिन्न स्तरों के दायित्वों के निर्धारण के संबंध में मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-502/ ल0सिं0/कार्य0/रा0ग्रा0पे0का0ता0/2017-18 दिनांक 04.08.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1361(1) /62-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, यू0पी0 डास्प, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।